न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 25 / 2018 **दायरा दिनांक : 16.02.2018**

उनवान

पप्पू माता सहोदरा पिता घासी लाल, जाति मेहर, निवासी बांसाहेडा, तहसील कुम्भराज, जिला गुना मध्यप्रदेश

.... अपीलांट

बनाम

1– रूपचन्द पुत्र हीरा मेहर, निवासी देवरीकला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– धन्नी बाई पुत्री हीरा मेहर, निवासी पुलियाखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– एस0 बी0 आई0 बैंक शाखा सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री श्यामसुन्दर शर्मा ।। अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 42/दावा/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध व पत्र संग्रह सार के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रतिवादी का 1/3 हिस्सा पप्पू पुत्र सहोदरा का होना दर्शाया है और प्रार्थी को न्याय से वंचित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है जिसकी कोई सूचना नहीं दी गई है और उसकी अनुपस्थिति में निर्णय एक तरफा पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद में अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया और न ही वाद में तनककी कायम की, जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण था । अपीलांट अपनी माता के हिस्से पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है वर्तमान में प्रार्थी अपीलांट ने फसल बो रखी है । प्रकरण प्राईमापेसी अपीलांट के प्रथम दृष्टया पक्ष में है परन्तु अधीनरथ न्यायालय द्वारा बिना जांच पड़ताल किये निर्णय पारित कर दिया । प्रार्थी अपीलांट को यदि अवसर नहीं मिला तो उसे अपूर्णीयक्षति होगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 अपास्त की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.12.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जमाबंदी में पप्पू का 1/3 हिस्सा है । अधीनस्थ न्यायालय ने हमारा नाम डिलीट कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया जिसकी कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय ने एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

(महेश्वर लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन सदस्य अपील प्राधिकारी

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पप्पू को रजिस्टर्ड नोटिस दिया था फिर भी वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । अन्य प्रतिवादियों ने वाद को स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय में सजरा ही गलत पेश किया है सजरा में पप्पू का नाम गलत है । सहोदरा नाम की पुत्री ही नहीं थी ग्यारसी बाई तो पप्पू की माता सहोदरा कैसे हुई । अतः अधीनस्थ न्यायालय ने पप्पू का नाम सही हटाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सही निर्णय पारित किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया है जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.07.2016 में किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये सम्मन को एक माह से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय में अनुपस्थित रहा है । इसलिए अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है । इससे स्पष्ट है कि अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 को सुनवायी एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर दिया गया है। इसके बावजूद अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 2 अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध जो एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है, वह सही है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा
महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

पप्पू माता सहोदरा पिता घासी लाल, जाति मेहर, निवासी बांसाहेडा, तहसील कुम्भराज, जिला गुना मध्यप्रदेश
..... **अपीलांट**

बनाम

1– रूपचन्द पुत्र हीरा मेहर, निवासी देवरीकला, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
2– धन्नी बाई पुत्री हीरा मेहर, निवासी पुलियाखेड़ी का पुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
3– एस0 बी0 आई0 बैंक शाखा सरेडी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
4– उप पंजीयन अधिकारी कार्यालय तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़
..... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. 25/2018 एवं
मु.द.नं0 42/दावा/2016

नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना**
निर्णय व डिकी दिनांक – **15.072016**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 19 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री अमरसिंह लववंशी** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री श्याम सुन्दर शर्मा**।। अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट
समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 15.07.2016 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **04** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)